भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 314

27 नवंबर, 2024 के लिए प्रश्न

खाद्य असुरक्षा

314. श्री के. सुधाकरन:

श्री एंटो एन्टोनी:

श्री तनुज पुनिया:

डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्य असुरक्षा का अनुभव कर रहे व्यक्तियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा विशेषकर दूरस्थ और अल्पसेवित क्षेत्रों में खाद्यान्नों का समान वितरण सुनिश्चित करने में विफल रहने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यानों की गुणवता और पोषण मूल्य में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देशभर में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावकारिता की निगरानी करती है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सर्वाधिक सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी को कवरेज प्रदान करने का प्रावधान है, इस प्रकार कुल जनसंख्या के दो तिहाई को कवर किया जाता है। इस अधिनियम

...2/-

के तहत काफी अधिक कवरेज है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल रहा है। इस अधिनियम को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है और इस अधिनियम के तहत लगभग 80.67 करोड़ लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। खाद्य असुरक्षा के संबंध में किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग): लक्षित आबादी के बीच फोर्टिफाइड चावल के एकसमान पोषण संबंधी प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) स्कीम और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम और अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कर रही है। सरकार की प्रत्येक स्कीम में कस्टम-मिल्ड चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल दिया गया है और मार्च, 2024 तक फोर्टिफाइड चावल के वितरण का 100% कवरेज प्राप्त कर लिया गया है। मिलेट्स (श्री अन्न) जिसे सामान्यतः पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है, पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का भाग हैं।

(घ) और (ड.): एनएफएसए में स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के माध्यम से उचित दर दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की कार्य-प्रणाली पर आवधिक सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रावधान है। केन्द्र सरकार भी सामाजिक लेखा-परीक्षण को संचालित कर सकती है या ऐसे स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से करा सकती है जिनके पास लेखा-परीक्षण करने का अनुभव हो।

सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 03 वर्षों (2020-23) के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के कार्यान्वयन का समवर्ती मूल्यांकन करने के लिए प्रतिष्ठित मॉनीटरिंग संस्थानों (एमआई) को नियुक्त किया है। मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए तैयार की गई प्रश्नावली में पीएमजीकेएवाई के तहत निःशुल्क खाद्यान्न की प्राप्ति के संबंध में भी कुछ प्रश्न शामिल किए गए थे। सर्वेक्षण किए गए परिवारों के संबंधित मॉनीटरिंग संस्थानों (एमआई) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि सर्वेक्षण की अवधि के दौरान पात्र लाभार्थियों को जनवरी 2023 से एनएफएसए के तहत निःशुल्क राशन प्रदान किया गया है।

****